संख्या-1/2015/ए-1-139/दस-2015-10(03)/2015

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 25 फरवरी, 2015**

विषय :- मासिक लेखा में अप्राप्त (लुप्त) वाउचर्स का पाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी0एल0सी0) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अवगत कराया है कि महालेखाकार कार्यालय में मासिक लेखा के लेखांकन के दौरान, कोषागारों द्वारा प्रेषित लेखा बण्डलों में कुछ वाउचर्स उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं, जिनकी धनराशि को आपत्ति पुस्तक उचंत खाता के अन्तर्गत लेखांकित करना पड़ता है एवं वाँछित/सत्यापित अभिलेख प्राप्त होने पर ही वास्तविक लेखाशीर्षक में लेखांकन सम्भव हो पाता है। कभी-कभी वित्तीय लेखा बन्दी की तिथि तक अभिलेख प्राप्त न होने से उ0प्र0 सरकार के विनियोग/वित्तीय लेखा में वास्तविक व्यय अंकन नहीं हो पाता है। इस सम्बन्ध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा किये जाने वाले पत्राचार के क्रम में कुछ व्यय नियंत्रण अधिकारियों, आहरण वितरण अधिकारियों व कोषाधिकारियों द्वारा वांछित कार्यवाही नहीं की जा रही है। परिणामस्वरूप प्रश्नगत् मुख्य लेखाशीर्षक का वास्तविक व्यय लेखांकित नहीं हो पाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने अधीनस्थ व्यय नियंत्रण अधिकारियों को उक्त के क्रम में तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश देने का कष्ट करें। यदि मासिक लेखा में अप्राप्त (लुप्त) वाउचर्स के कारण लेखांकन में कोई अनियमितता या विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित व्यय-नियंत्रण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
मुकेश मित्तल
सचिव, वित्त।

संख्या-1/2015/ए-1-139(1)/दस-2015-10(03)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजकोष एवं वी0एल0सी0) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद-211001 को उनके पत्रांक-उ0नि0प्र0/772, दिनांक 21-01-2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आज्ञा से,
सुखद राम पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in